



कृषि विज्ञान केन्द्र श्रीगंगानगर, पदमपुर,
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

क्रमांक /एफ/के.वि.के./ पदमपुर/2024-25/ 122

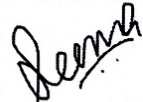
दिनांक: 24/8/2024

खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर पर फ़ार्म एवं प्रदर्शन यूनिट पर श्रमिक से सम्बन्धित कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत 7,00,000/- रुपये है। निविदा फॉर्म दिनांक 02/09/2024 तक कार्यालय दिवस में सुबह 11.00 बजे तक 500 रु. नगद/ड्राफ्ट जो कि **कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर** के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए निविदा फॉर्म धरोहर राशि 14000 /- रुपये के ड्राफ्ट (जो कि **कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर** के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है) के साथ दिनांक 02/09/2024 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निविदा उसी दिन दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें निविदा फॉर्म के साथ उपलब्ध कराई जावेगी। खुली निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in, www.rau.bikaner.org तथा <https://sriganganagar.kvk2.in/> पर देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर को होगा।

UBN: SKA2425WSOB00053


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर
पदमपुर



कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

क्रमांक /एफ/के.वि.के./ पदमपुर/2024-25/122

कार्य विवरण एवं शर्तें

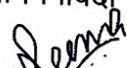
दिनांक: 24/8/2024

क्र.सं.	संस्था का नाम	
1.	कार्य की अनुमानित अवधि	कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
2.	धरोहर राशि की प्रकृति एवं राशि	31/8/2025 तक
3.	NIB code	14000 रुपये/- डिमाण्ड ड्राफ्ट
		SKA2425A0051

निविदा/कांटेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. न.	कार्य का पूर्ण विवरण	इकाई
1	IFS में मुर्गी यूनिट/ बकरी यूनिट में पानी पिलाने, दाना डालना, साफ सफाई करना, फार्म से चारा काटना एवं देखरेख करना आदि सम्बन्धित कार्य	प्रति 8 घण्टे
2	कार्यालय/ किसान घर/ प्रयोगशाला की साफ सफाई, रखरखाव सम्बन्धित कार्य	प्रति 8 घण्टे
3	फार्म एवं कार्यालय की दिन- रात की चौकीदारी	प्रति 8 घण्टे
4	अर्द्ध-कुशल श्रमिक- माली- नर्सरी में बेड बनाना, थैली भरना, पौधे तैयार करना, लॉन लगाने, लॉन की साफ सफाई, लॉन की कंटाई-छंटाई, पौधे लगाना, पानी देना, पौधों की कटाई छटाई, ग्रीन हाउस में कार्य आदि सम्बन्धित कार्य	प्रति 8 घण्टे
5	कुशल श्रमिक: कंप्यूटर सहायक/ प्रयोगशाला सहायतार्थ/ ट्रैक्टर चालक अन्य कुशल कार्य सहायतार्थ	प्रति 8 घण्टे
6	बीज / अनाज की बेग को ट्रॉली /ट्रक से उतारना ओर गोदाम मे रखवाना (स्टेक लगवाना) अथवा गोदाम से बेग ट्रॉली /ट्रक मे लदवाना (दोनों मे कोई भी एक कार्य)	प्रति किंटल
7	अन्य विविध कार्य (बीज की सफाई, तुलाई, पैकिंग एवं फसल कटाई, बीज / गोदाम की साफ सफाई का कार्य) बिजाई करना, कीटनाशक स्प्रे करना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, आज़ोला, वर्मिकम्पोस्ट आदि से सम्बन्धित कार्यों में सहायतार्थ एवं अन्य विविध कार्य जो की अकुशल कार्य की श्रेणी मे आता हो	प्रति 8 घण्टे

निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें निविदा फॉर्म के साथ उपलब्ध कराई जावेगी।
न्यूनतम दर को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा संलग्न प्रपत्र में भरनी है।


वर्तमान वैज्ञानिक एवं आचार्य
कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
पदमपुर



उत्तम कृषि केंद्र

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

क्रमांक /एफ/के.वि.के./ पदमपुर/2024-25/122

दिनांक: 24/8/2024

1. निविदा फॉर्म दिनांक 02/09/2024 तक कार्यालय दिवस में सुबह 11.00 बजे तक ड्राफ्ट जो /नगद .रु 500 कि कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र ,, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
2. भरे हुए निविदा फॉर्म दिनांक 02/09/2024 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निविदा उसी दिन दोपहर 1:00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने के दिन अवकाश रहता है तो निविदा उसके अगले दिन उसी समय उसी स्थान पर खोली जाएगी।
4. इस कार्य की अनुमानित लागत 7.00 लाख रुपये है। अतः निविदादाता को धरोहर राशि 14,000/-रुपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के निविदा फॉर्म निरस्त माना जायेगा। असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा।
5. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने श्रमिकों का नियमानुसार EPF एवं ESI जमा करवाना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा।
6. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF एवं ESI की राशि जमा कराने का समस्त दायित्व निविदादाता का होगा।
7. निविदादाता फॉर्म द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त (ठेकेदार) EPF एवं ESI व सेवाकर इत्यादि जोड़ते हुए अपनी दरें प्रस्तुत करनी होगी। बाद में इस में (कोई हो तो यदि) संबंध में सभी दायित्व निविदादाता का ही होगा। कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर इसके लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
8. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर व सैस की कटौती करने के पश्चात ही बिल का भुगतान किया जाएगा तथा आयकर रिटर्न भरने का दायित्व ठेकेदार का ही होगा।
9. श्रमिकों कार्य समय में ठेकेदार स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का फॉर्म पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। जिसका निविदादाता को पहचान पत्र एवं अपने लेटर पेड पर लिख कर कार्यालय को देना होगा तथा यदि प्रतिनिधि बदलना हो तो पुनः लिखा कर देना होगा। अन्यथा किसी अनजान व्यक्ति को फॉर्म पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा।
10. निविदादाता किसी अन्य ठेकेदार या व्यक्ति को उप-ठेका (सबलेट) नहीं देगा। वह स्वयं इस कार्य को करवाएगा।
11. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के (यदि कड़ि हो तो) दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
12. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

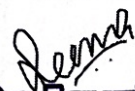
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र
पदमपुर

13. आपूर्तिकर्मी एवं केन्द्र के बीच कोई स्वामी सेवक का संबंध नहीं होगा। यह आपूर्तिकर्मी सेवाप्रदाता संस्था का ही सेवक होगा। एवं निविदादाता या कोई भी श्रमिक का केंद्र या विश्व विधालय से कोई संबंध नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
14. सेवा प्रदाता संस्था / ठेकेदार को श्रम विधियों एवं नियमों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा अर्थात् आपूर्ति किये गये कृषि श्रमिकों के संबंध में श्रमिक कानूनों, नियमों व अन्य संवैधानिक दायित्व आपूर्तिकर्ता संस्था/ठेकेदार का ही होगा।
15. विवादास्पद मसलें पर विवादास्पद मदों के संबंध में कुल शेष राशि का भुगतान रोका जा सकेगा तथा विवाद निवृत्त होने पर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके द्वारा गठित कमिटी द्वारा निर्णय किया जावेगा तथा यदि निविदादाता इस निर्णय से असहमत हैं तो कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके को इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर का निर्णय अंतिम होगा।
16. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केंद्र /राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों आदि की पालना का दायित्व निविदादाता का ही होगा।
17. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों अधिसूचनाओं आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों / दायित्व के लिए निविदादाता स्वम उतरदायी होगा।
18. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है, तो करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान एवं प्रतिभूत राशि जब्त करके ब्लैक लिस्टेड-घोषित कर दिया जायेगा।
19. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार भुगतान नहीं दिया जायेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो राजस्थान सरकार के नियमानुसार कटौती निविदादाता से की जायेगी।
20. उपलब्ध कराये गये श्रमिकों भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्ति कर्ता संस्था/ठेकेदार का होगा। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कोषागार में प्रस्तुत बिल के पास होने या न होने आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। निविदादाता द्वारा श्रमिकों का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से करना होगा। भले ही कार्यालय द्वारा निविदादाता को भुगतान देरी से किया जाये।
21. किसी भी शर्त की पूर्णतया पालना न होने पर अनुबन्ध किसी भी समय रद्द किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
22. दिये गये कृषि कार्य में किसी कारण से लिपिकीय त्रुटि या अंकगणितीय त्रुटि होने की वजह से यदि दरें अव्यवहारिक प्रतीत होती है तो कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर अधिकृत होंगे कि उस कार्य को निविदा से हटा लिया जाये।
23. निविदादाता द्वारा प्रत्येक कृषि कार्य करने के लिये प्रस्तुत दरों में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित करते हुये दरें प्रस्तुत करनी है। केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर किसी भी तरह से अतिरिक्त करों का दायित्व वहन नहीं करेगा।
24. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार /अनुबन्धकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

25. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई एस आई करवाने / समूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा , इसके लिये केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर की कड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्णपालना हेतु निविदादाता / ठेकेदार उत्तरदायी रहेगा
27. Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules ,2013 के प्रावधान प्रभावी रहेगे।
28. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु कार्यक्रम समन्वयक / वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर श्रीगंगानगर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार/ निविदादाता उसके लिये बाध्य होगा।
29. कार्य पर उपलब्ध करवाए जाने वाले श्रमिकों की आयु श्रम विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
30. ठेकेदार को विभिन्न कार्यों का समय व दिनांक कार्य विवरण के अनुसार एक दिन पूर्व ही बता दिया जायेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को कार्य का सम्पादन करने की व्यवस्था करनी होगी।
31. किसी भी कार्य के समय पर न होने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उसे नोटिस जारी होने के बाद भी कार्य समय पर न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी अपने स्तर पर ठेकेदार की दर पर या अधिक दरों पर श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेंगे। जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जाएगा तथा उसे 3 वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
32. किसी भी अपराधिक मामले में लिप्त, नशा किया हुआ अथवा फार्म पर प्रतिबन्धित व्यक्ति को ठेकेदार कार्य पर नहीं लगायेगा।
33. सफल निविदादाता स्वीकृत कार्य करने से इन्कार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी धरोवर राशि जब्त कर ली जायेगी अथवा निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा धरोवर राशि एवं शेष बिलो का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म एवं व्यक्ति को ब्लैक लिस्टड कर दिया जाएगा ।
34. निविदादाता /सेवा प्रदाता को आयकर पेन (PAN) नम्बर ,आधार नम्बर व बैंक खाता विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
35. सफल निविदा दाता द्वारा जीएसटी (GST) का बिल देना होगा
36. निविदादाता को भुगतान सम्पादित किये हुए कार्यों का ही होगा तथा कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
37. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा समान प्रतिशत दरे प्राप्त होने पर किसी एक निविदादाता को स्वीकार करने का अधिकार कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष या कमेटी अध्यक्ष का होगा।
38. निविदादाताया श्रमिकों द्वारा केन्द्र के सामान/सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है या चुराई जाती है तो निविदादाता के द्वारा हर्जाना वसूला जाएगा तथा ऐसे श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा।
39. फ़ार्म पर कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की मानव दुर्घटना/ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी समस्त जवाबदेही एवं जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता स्वयं की होगी तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा तथा न ही निविदादाता/श्रमिक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र से मांग करेगा।
40. सफल निविदादाता अपनी स्वम की देख रेख में कार्य करवाएगा अगर की किसी भी प्रकार की मानव दुर्घटना/ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी समस्त जवाबदेही एवं जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता स्वयं की होगी

Seema
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केंद्र
पदमपुर

41. केंद्र द्वारा सफल निविदादाता द्वारा दी गई दरो के अलावा किसी भी प्रकार का टेक्स , जीएसटी , या अन्य का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
42. श्रमिकों के कार्य का समय सुबह 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा तथा दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक श्रमिकों के विश्राम का समय होगा । श्रमिकों के देरी से आने एवं जल्दी जाने पर निविदा दाता को आधे दिन की हाजरी मानी जाएगी ।
43. निविदादाता के द्वारा मुर्गी फ़ार्म एवं बकरी डेमो यूनिट की देखरेख में लगाए गये आवश्यकतानुसार श्रमिक को रात्रि के समय भी मुर्गी एवं बकरियों की देखरेख करनी होगी।
44. किसी भी विवाद की स्थिति मे केवीके प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र पदमपुर होगा।
45. निविदादाता द्वारा करवाए गए कार्य के मूल्यांकन करने पर कार्य संतोष जनक नहीं पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी या निविदा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा ।
46. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार राशि रू. 100/- के नॉन-जुडिशियलस्टाम्प पर एक अनुबंध पत्र संपादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र पर लिखी प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।
47. सफल निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र 100/- रुपए के नॉन-जुडिशियलस्टाम्प पर एक अनुबंध पत्र ठेकेदार द्वारा दी गई दरो मे न्यूनतम मजदूरी एवं EPF, ESI एवं आँय सरकारी कर जो लागू हो इत्यादि को जोड़ते हुये प्रस्तुत की गई है तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में सभी दायित्व निविदादाता का ही होगा। केवीके, पदमपुर, श्रीगंगानगर इसके लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा तथा उपरोक्त सभी शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमति देनी होगी ।
48. इस कार्य की अनुमानित लागत 7.00 लाख है अतः धरोवर राशि / अनामत राशि 2 प्रतिशत (रुपए 14000 /-) कार्यालय मे दिनांक 22/08/2024 को दोपहर 12.00 बजे भरे हुये प्रपत्र के साथ जमा करवानी होगी । बिना धरोवर राशि के प्रपत्र / फार्म / निविदा निरस्त मनी जाएगी । तथा सफल निविदादाता को आदेश जारी होने के 5 दिवस मे दी गई राशि (7.00 लाख) का 3 प्रतिशत राशि (21000/- रुपए) धरोवर राशि के अतिरिक्त कार्यालय मे कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर के नाम से डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा ।


विकास वैज्ञानिक एवं अभ्यास
कृषि विज्ञान केंद्र
 कृषि विज्ञान केंद्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर

घोषणा पत्र

मैं.....निवासीआधार नंबर
 यह घोषणा करता हूँ की मेरी फर्म का नाम
 पता.....द्वारा
 निविदा क्रमांकमे दिये कार्य करवाने हेतु अपनी दरे प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा
 घोषणा करता हूँ कि मैंने/हमने निविदा की नियम एवं शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा
 मैं/हम इन से शर्तों से पूर्णतया सहमत है ।यदि मैं/ हम निविदा में दर्शाई गयी शर्तों एवं नियम का पालन नहीं
 करता /करते है तो हमारी धरोवर राशि को जब्त कर लिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर



कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम :
2. निविदा क्रमांक /एफ/के.वि.के./ पदमपुर/2024-25 /122 दिनांक: 24/08/2024
3. निविदा धरोवर राशि का विवरण: धरोवर राशि 14000 रुपए , ड्राफ्ट न. ड्राफ्ट दिनांक बैंक का नाम एव शाखा (ड्राफ्ट बनाने वाले बैंक).....जो की
PROGRAMME COORDINATOR, KRISHI VIGYAN KENDRA, SRIGANGANAGAR के पक्ष मे देय हो।(बिना धरोवर राशि के निविदाप्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा)
4. मै/ हम निम्न दरो पर कार्यकरने हेतु सहमत हूँ।

निविदा/कांटेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. न.	कार्य का पूर्ण विवरण	इकाई	निविदादाता द्वारा भरी दरे समस्त टेक्स समेत (रुपए)
1	IFS में मुर्गी यूनिट/ बकरी यूनिट में पानी पिलाने, दाना डालना, साफ सफाई करना, फार्म से चारा काटना एव देखरेख करना आदि सम्बन्धित कार्य	प्रति 8 घण्टे	
2	कार्यालय/ किसान घर/ प्रयोगशाला की साफ सफाई, रखरखाव सम्बन्धित कार्य	प्रति 8 घण्टे	
3	फार्म एवं कार्यालय की दिन- रात की चौकीदारी	प्रति 8 घण्टे	
4	अर्द्ध-कुशल श्रमिक- माली- नर्सरी में बेड बनाना, थैली भरना , पौधे तैयार करना, लॉन लगाने, लॉन की साफ सफाई, लॉन की कंटाई-छंटाई, पौधे लगाना , पानी देना ,पौधों की कटाई छटाई, ग्रीन हाउस में कार्य आदि सम्बन्धित कार्य	प्रति 8 घण्टे	
5	कुशल श्रमिक: कंप्यूटर सहायक/ प्रयोगशाला सहायतार्थ/ ट्रैक्टर चालक अन्य कुशल कार्य सहायतार्थ	प्रति 8 घण्टे	
6	बीज / अनाज की बेग को ट्रॉली /ट्रक से उतारना ओर गोदाम मे रखवाना (स्टेक लगवाना) अथवा गोदाम से बेग ट्रॉली /ट्रक मे लदवाना (दोनों मे कोई भी एक कार्य)	प्रति क्विंटल	
7	अन्य विविध कार्य (बीज की सफाई, तुलाई,पेकिंग एवं फसल कटाई, बीज / गोदाम की साफ सफाई का कार्य) बिजाई करना , कीटनाशक स्प्रे करना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना , आज़ोला,वर्मिकम्पोस्ट आदि से सम्बन्धित कार्यों में सहायतार्थ एवं अन्य विविध कार्य जो की अकुशल कार्य की श्रेणी मे आता हो	प्रति 8 घण्टे	

दिनांक:

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र
पदमपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम एवं पता